

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
उम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : शूलीवसिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3529

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : पोस्ट ग्रेजेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जन विकास न्यास, कैन्सार पहाड़ी ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. माया त्रिपाठी, प्राचार्या, जे.ए. स्कूल ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर
2. श्री दशरथ सिंह गुर्जर, सदस्य, कार्यपरिषद्

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जन विकास न्यास, कैन्सार पहाड़ी ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./ठी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जि कि किसी अन्य प्रबंधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्व में व्यवहार दुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे साधित हो।



गाम : शूटीवर्टी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ ५०४।

दिनांक: २१.६.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध पोस्ट ग्रेज्युएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जन विकास न्यास, ग्वालियर (0751-2336506) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तुति/सम्बोधित पोस्ट ड्रेसिंग बी.एस.-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता देतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत विनाबुद्धार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. नी.बी.के.एस. प्रसाद, आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) (0751-2442794)
- (2) डॉ. ओ.पी. जाटव, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।
- (3) डॉ. अर्जुन सिंह राजपूत, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।
- (4) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त इनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा सम्बर्ध स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेद देते हैं कि वे उक्त विधीनित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेद 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेद जमा करने का उत्तरदायित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में कोई गई देही के लिए महाविद्यालय ख्यात उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 गाढ़ में विरीक्षण बर्ती करता है तो समिति ख्यात विरत्त हो जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति लग्ज देतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- ही विरीक्षण समिति का पुर्वज्ञव किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कावलिय उदायक पत्रावली लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की वस्तुविवेत से विरीक्षण समिति को अवगत करावें। विरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा डी.ए. / डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3/20/03
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगाह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अंदर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

3/20/03
उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)